बिहार सरकार
आपदा प्रबंधन विभाग

ब्लॉक–सी0, सरदार पटेल भवन, जवाहरलाल नेहरू मार्ग (बेली रोड), पटना–800023
दूरभाष: 0612 2294201, 2294202(फैक्स), ई–मेल: secy-disastermgmt-bih@nic.in

पत्रांक–01/प्रा०आ०(COVID-19)–15/2020/1758/आ0प्र0 पटना–23, दिनांक– 10.05.2020

प्रेषक,

प्रत्यय अमृत,
प्रधान सचिव।

सेवा में,

सभी जिला पदाधिकारी/वरीय पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक
बिहार।

विषय :– बिहार से बाहर फँसे मजदूरों, छात्रों एवं अन्य लोगों को बस/मिनी बस से बिहार लाने हेतु मानक संचालन प्रक्रिया (**SOP**) के संबंध में।

महाशय,

गृह मंत्रालय, भारत सरकार के आदेश ज्ञापांक–40–3/2020–DM-I(A) दिनांक–29.04.2020 एवं अर्द्धसरकारी पत्र ज्ञापांक–40–3/2020–DM-I(A) दिनांक–03.05.2020 के आलोक में बिहार से बाहर फँसे मजदूरों, छात्रों एवं अन्य लोगों को बस/मिनी बस से बिहार लाने हेतु विभाग द्वारा तैयार मानक संचालन प्रक्रिया (SOP) आवश्यक कार्रवाई हेतु इस पत्र के संलग्न कर प्रेषित की जा रही है।

अनु0–यथोक्त।

विश्वासभाजन,

ह0/– 10/5
प्रधान सचिव

ज्ञापांक–01/प्रा०आ०(COVID-19)–15/2020/1758/आ0प्र0 पटना–23, दिनांक– 10.05.2020

प्रतिलिपिः–सभी प्रमण्डलीय आयुक्त, बिहार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

ह0/– 10/5
प्रधान सचिव

ज्ञापांक–01/प्रा०आ०(COVID-19)–15/2020/1758/आ0प्र0 पटना–23, दिनांक– 10.05.2020

प्रतिलिपिः–अपर मुख्य सचिव, गृह विभाग, बिहार, पटना/पुलिस महानिदेशक, बिहार/अपर पुलिस महानिदेशक (विधि–व्यवस्था)/अपर पुलिस महानिदेशक (रेलवे)/सभी पुलिस महानिरीक्षक/पुलिस उप महानिरीक्षक, बिहार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

ह0/– 10/5
प्रधान सचिव

ज्ञापांक–01/प्रा०आ०(COVID-19)–15/2020/1758/आ0प्र0 पटना–23, दिनांक– 10.05.2020

प्रतिलिपिः–सचिव, परिवहन विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

ह0/– 10/5
प्रधान सचिव

ज्ञापांक–01/प्रा०आ०(COVID-19)–15/2020/1758/आ0प्र0 पटना–23, दिनांक– 10.05.2020

प्रतिलिपिः–सभी नोडल पदाधिकारी, बिहार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

ह0/– 10/5
प्रधान सचिव

बिहार सरकार
आपदा प्रबंधन विभाग

बिहार से बाहर फँसे, मजदूरों, छात्रों एवं अन्य लोगों को बस/मिनी बस से बिहार लाने हेतु मानक संचालन प्रक्रिया (SOP)।

कोरोना वायरस (Covid-19) संक्रमण के परिदृश्य में लागू राष्ट्रव्यापी LOCKDOWN के कारण अन्य राज्यों में फँसे मजदूरों, छात्रों एवं अन्य व्यक्तियों (आगन्तुकों) के अन्तर-राज्यीय आवागमन के लिए MHA के आदेश सं0-40-3/2020-DM-I(A) दिनांक-29.04.2020 के द्वारा विशेष परिस्थिति में राज्य सरकारों के बीच पारस्परिक सहमति से आदान-प्रदान की अनुमति की गई है। इस संबंध में बसों/मिनी बसों से आगन्तुकों को बिहार लाने के संबंध में निम्नलिखित प्रक्रिया होगी:-

(1) यदि आगन्तुक अन्य राज्य के किसी एक जिले से बिहार के किसी एक ही जिले में आने वाले हों तो भेजने वाले राज्य के सम्बन्धित जिला पदाधिकारी द्वारा सहमति की माँग किए जाने पर बिहार के संबंधित जिला पदाधिकारी सहमति प्रदान करने के लिए प्राधिकृत होंगे।

(2) यदि एक ही बस में एक से अधिक जिलों के आगन्तुक हों तो ऐसी स्थिति में भेजने वाले राज्य के सम्बन्धित जिला पदाधिकारी द्वारा सहमति की माँग किए जाने पर सहमति प्रदान करने हेतु बिहार के जिला पदाधिकारीगण निम्नरूपेण प्राधिकृत किये जाते हैं :-

(क) गया, औरंगाबाद, अरवल एवं जहानाबाद जिलों के लिए जिला पदाधिकारी, गया।

(ख) भोजपुर, बक्सर, रोहतास, कैमूर एवं पटना जिलों के लिए जिला पदाधिकारी, भोजपुर।

(ग) नालंदा, शेखपुरा, जमुई एवं नवादा जिला के लिए जिलों पदाधिकारी, नालंदा।

(घ) वैशाली, सारण, मुजफ्फरपुर, शिवहर एवं सीतामढ़ी जिलों के लिए जिला पदाधिकारी, वैशाली।

(ड़) समस्तीपुर, मधबुनी, दरभंगा, सुपौल, मधेपुरा एवं सहरसा जिलों के लिए जिला पदाधिकारी, समस्तीपुर।

(च) पूर्वी चम्पारण एवं पश्चिमी चम्पारण जिलों के लिए जिला पदाधिकारी, पूर्वी चम्पारण।

(छ) मुंगेर, भागलपुर, बांका एवं लखीसराय जिलों के लिए जिला पदाधिकारी, मुंगेर।

(ज) खगड़िया, पूर्णिया, कटिहार, किशनगंज, अररिया एवं बेगूसराय जिलों के लिए जिला पदाधिकारी, खगड़िया।

(3) उपरोक्त कंडिका 1 एवं 2 के तहत सहमति प्राप्त वाहनों को बिहार के सीमा के जिलों/चेकपोस्टों से प्रवेश करने दिया जायेगा। उक्त वाहनों में बिहार के किसी

एक जिला के यात्री हों तो वह वाहन गंतव्य जिला तक जाने की अनुमति दी जाएगी, परन्तु यात्रियों का विवरण सीमा पर संधारित किया जाएगा।

(4) कंडिका (1) एवं (2) के तहत अन्य राज्य सरकार के खर्च पर आने वाली सहमति प्राप्त बस/मिनी बस के वाहन पास पर आगमन के पश्चात् यदि लौटने हेतु ईंधन की याचना प्रेषक जिलों द्वारा अंकित की गयी हो, तो वैसे वाहनों को लौटने के लिए प्राप्तकर्ता जिला द्वारा ईंधन दिया जायेगा।

(5) आवश्यकतानुसार अन्तरजिला हस्तांतरण हेतु वाहनों की अधियाचना जिला पदाधिकारी आपदा प्रबंधन अधिनियम–2005 के तहत प्रदत शक्तियों के अनुसार कर सकेंगे।

(6) उपरोक्त वर्णित सहमति एवं पासधारी बसों/मिनी बसों के अतिरिक्त कोई भी यात्री बस का बिहार में प्रवेश पूर्णतः वर्जित है। ऐसे वाहन जब्त कर लिए जायेंगे।

10.5.2020

(प्रत्यय अमृत)
प्रधान सचिव